RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जुलाई, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 2

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

पूरे प्रदेश से क्या सारे भारत से अच्छी वर्षा के समाचार आ रहे हैं परन्तु फिर भी हरी सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसके विपरीत आलू में बेतहाशा मन्दी चल रही है। कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ से आलू के कम उठान की खबर है। दूर के बाजारों के लदान करने पर व्यापारियों को घाटा उठाना पड़ रहा है तथा 300–350 रुपए पैकट के दाम की भी वसूली नहीं हो पा रही है।

आलू की निकासी शीतगृहों से बहुत कम हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों से आलू की निकासी का प्रतिशत इतना अधिक अलग है कि उससे किसी भी तरह का औसत निकालना गलत होगा। कुछ क्षेत्रों में तो 12 प्रतिशत की निकासी सुनने में आ रही है और कुछ क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की निकासी की खबर है। इससे किसी भी प्रकार की औसत नही निकालना चाहिए। इस तरह की निकासी का प्रतिशत निकालने से हमें यह भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न शीतगृहों में भी निकासी के प्रतिशत में बहुत बड़ा अन्तर आ रहा है। अतः हम अपने सदस्यों को यह सलाह देते है कि वह आलू के निकासी के प्रतिशत की ओर ना जाकर अपने शीतगृह और अपने क्षेत्र की निकासी की ओर ध्यान दें और उसी को आधार मानकर अपने शीतगृह से आलू

की निकासी का प्रयत्न करें। कई शीतगृहों में जहाँ लोन अधिक है और भण्डारणकर्ताओं पर कोई कन्ट्रोल नहीं है तो वहाँ निकासी बहुत कम हो रही है जबकि कुछ शीतगृहों में जहाँ लोन अधिक है और भण्डारणकर्ताओं पर नियन्त्रण भी भली प्रकार है वहाँ निकासी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसी तरह जहाँ बीज का आलू अधिक रखा है वहाँ आलू की निकासी बहुत कम है।

हमें आशा है कि भविष्य में आलू के भाव कुछ अवश्य सुधरेंगे परन्तु ऐसे नहीं जिसे आलू में तेजी कही जा सके क्योंकि भण्डारित आलू की मात्रा काफी अधिक है।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग के सम्बध में :

जैसा कि आप जानते है कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग हर वर्ष माह दिसम्बर में आयोजित की जाती। गत वर्ष मीटिंग लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस वर्ष अभी जगह का चयन नहीं हो पाया है। नीचे दिए गये स्थानों में से जिसे हमारे सदस्य सबसे ज्यादा पसन्द करेंगे उस जगह पर मीटिंग आयोजित की जायेगी।

1. हैदराबाद
2. लखनऊ
3. ओरछा
4. खजुराहो
5. कोई भी अन्य जगह जहाँ अधिकांश सदस्य चाहें

यहाँ यह भी ध्यान दें की वार्षिक मीटिंग भारत में ही रखी जायेगी। यदि सदस्य विदेश यात्रा चाहेंगे तो उनके सुझाव के अनुसार विदेश यात्रा भी आयोजित की जा सकती है। जगह का सुझाव आप हमें पत्र या फिर ई–मेल द्वारा भेज सकते है। कृपया अपना सुझाव हमें 20 अगस्त, 2013 तक अवश्य भेज दें।

अन्य संस्थाओ द्वारा शीतगृहों की डायरेक्ट्री तैयार करना :

कृपया ध्यान दें कि कुछ कम्पनियाँ शीतगृहों की डायरेक्ट्री तैयार कर रही हैं और उसके लिए वह शीतगृहों से व अन्य कम्पनियों से पैसा इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसी कम्पनियों से कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश या फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमारी डायरेक्ट्री हर दो वर्ष में प्रकाशित होती है और इसका सदस्यों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अतः हम अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसी कम्पनियों को प्रोत्साहित ना करें।

विद्युत सम्बन्धी :

सिक्योरिटी पर ब्याज के सम्बन्ध में :

दिनांक 25.7.2013 को अखबारों में सिक्योरिटी पर ब्याज के सम्बन्ध में नई व्यवस्था का विवरण दिया है। यहाँ पर हम दैनिक जागरण में छपी खबर को प्रस्तुत कर रहे है, जिससे आपको हमारे पिछले अंक में प्रकाशित ब्याज दर सम्बन्धी सूचना को विस्तार से समझने में मदद मिलेगी।

''अब कार्पोरेशन ने बदली सिक्योरिटी राशि पर ब्याज देने की व्यवस्था :

विभिन्न श्रेणियों की बिजली की दरों को लेकर चल रहे मामलों के बीच ही पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर देय ब्याज की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है। बदली व्यवस्था के नियमानुसार न होने और उपभोक्ताओं को उससे होने वाले नुकसान को देखते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग ने मामले में कार्पोरेशन प्रबंधन से जवाब–तलब किया है। दरअसल, विद्युत वितरण संहित–2005 व टैरिफ आदेश के अनुसार कार्पोरेशन प्रबंधन को प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी धनराशि पर ब्याज पहली अप्रैल को लागू बैंक रेट के आधार पर देने की व्यवस्था है। ऐसे में पहली अप्रैल, 2012 को आधार मानकर वर्ष 2012–13 के लिए 9.50 फीसद व पहली अप्रैल, 2013 को आधार मानकर वर्ष 2013–14 के लिए 8.50 फीसद का ब्याज प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी सिक्योरिटी राशि पर मिलना चाहिए। कार्पोरेशन प्रबंधन ने उक्त व्यवस्था को बदलते हुए अब उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज दिए जाने का जो आदेश बिजली कम्पनियों को भेजा है वह 'बेटेज एवरेज रेट' के सिद्धान्त के आधार पर है। ऐसे में वर्ष 2012–13 के लिए 8.97 फीसद और वर्ष 2013–14 के लिए 8.27 फीसद ब्याज ही उपभोक्ताओं को दिए जाने का आदेश कार्पोरेशन ने किया है।''

रेगुलेटरी सरचार्ज के सम्बन्ध में :

रेगुलेटरी सरचार्ज बिल में किस चार्ज पर लगेगा इस पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) का स्पष्टीकरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो निम्न प्रकार है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह सरचार्ज Penalty, Rebate या सरचार्ज की मदों पर नहीं लगेगा।

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

No: UPERC/D(T)RAU/2013-402
Dated: 25th June, 2013

To,

Shri Mohd. Ghufran
Chief Engineer (RAU),
U.P. Power Corporation Ltd.
15th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14-Ashok Marg,
Lucknow - 226001.

Sub: Clarifications in regard to the Tariff Orders for FY 2013-14 (Clarification No.1).

Sir,

Please refer to letter No. 1377/RAU/Tariff Order 2013-14 dated 14th June, 2013, vide which a few clarifications have been sought. The point wise clarifications are as tabulated below:

Sl. No.	Issue Raised	UPERC
1	In the Tariff Order(s)for FY 2013-14 at Clause 7.3, the Hon'ble Commission has described about the 'Regulatory Surcharge' and directed to introduce a surcharge of 3.71% over "Rate" as defined in the Rate Schedule for FY 2013-14. In the rate schedule for FY 2013-14 "Rate" has been defined as under : "RATE: Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category" Above definition of rate implies that "Rate" comprises only fixed & energy charges and regulatory surcharge should be applicable on fixed & energy charges only. The Tariff Order is silent about applicability of regulatory surcharge on rebate as well as penalties, such as Load factor rebate, PF rebate, Capacitor s/c, other penalties etc., which are also integral part of billing system of consumers. Therefore you are requested to kindly issue directives about applicability of "Regulatory Surcharge" on rebate as well as penalties imposed on consumers during course of their billing cycle.	The 'Regulatory Surcharge' will be applicable on "Rate" which comprises of fixed / demand & energy charges (including the TOD rates as applicable). Regulatory Surcharge will not be applicable on penalty, rebate or surcharge.
2	Further clarification is also requested about allowable load	The Licensee is directed to provide a

रेट शेड्यूल में fixed charge के सम्बन्ध में :

किस पर फिक्सड चार्ज लगेगा उसकी व्याख्या की गई हैं। यह fixed charge की गणना contracted load पर ही की जा सकेगी ना कि किसी भी समय पर आई अधिकतम एम.डी.आई (MDI) पर।

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Kisan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

	in case of consumers getting supply as per "Rural schedule" in LMV-1 & LMV-2 categories as Tariff Order has not defined any load limit to these sub categories and as per Tariff Order these consumers are being billed on per connection basis.	detailed note clarifying the past and current practice in this regard. Based on this submission, the Commission would take a suitable decision.

Also refer to letter No. 1948/RAU/Tariff Order 2013-14 dated 19th June, 2013, vide which a clarification has been sought. The same is detailed as below:

Sl. No.	Issue Raised	UPERC
1	In the General Provisions of the Rate Schedule of Tariff Order(s) for FY 2013-14 at Clause 15, the following is provided: "15. Whenever, the billing is based on two part tariff structure, the fixed charge will be computed on the basis of contracted load." The corresponding provision in the Tariff Order for FY 2012-13 read as: "15. Whenever, the billing is based on fixed charges there the fixed charge will be computed on the basis of contracted load." The new provision of providing fixed charges on the basis of contracted load wherever billing is based on two part tariff structure is contrary to the spirit of the Tariff. This can be observed from the General Provision Clause No. 6 – 'Billable Demand' which does provide for charging on actual maximum demand which can be higher than the contracted load. Therefore you are requested to kindly issue necessary clarification to avoid any ambiguity in billing.	In all the Tariff Orders for FY 2013-14 of all the distribution licensees the following (Clause 15 of the General Provisions of the Rate Schedule) may be replaced and read as follows in place of the existing provision: Existing: "15. Whenever, the billing is based on two part tariff structure, the fixed charge will be computed on the basis of contracted load." Should be replaced and read as: "15. Whenever, the billing is based on fixed charges, there the fixed charge will be computed on the basis of contracted load."

Further, the licensees are required to follow the RPO as provided in the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Promotion of Green Energy through Renewable Purchase Obligation) Regulations, 2010 in the matter of power purchase. However while purchasing the RPO quantum the licensee is exempted from the merit order principle as provided in the UPERC (Terms & Conditions of Determination of Tariff) Regulations, 2006. The actual power purchase made for FY 2013-14 by the licensees will be subject to true up.

(5) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जुलाई, 2013

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission
Khan Mandi Bhawan, II Floor, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423 E-mail secretary@uperc.org

Further, all distribution licensees and UPPCL are directed to upload all the clarifications being issued on their respective websites for the easy access of all the stakeholders and the public at large.

Yours sincerely,

Secretary

CC.
1. MD, U.P. Power Corporation Ltd., Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow- 226001.
2. MD, MVVNL, 4-A, Gokhale Marg, Lucknow-226001.
3. MD, DVVNL, Urja Bhawan, 220KV Sub-Station Mathura Bypass Road, Agra-282007.
4. MD, PVVNL, Victoria Park, Meerut-250001.
5. MD, PuVVNL, Bhikharipur, 132KV Sub-Station, Poorvanchal Vidyut Bhawan, P.O. Diesel Locomotive Works, Varanasi-221004.
6. MD, KESCo, KESA House, 14/71, Civil Lines, Kanpur-208001.
7. MD & CEO, Noida Power Company Ltd. Commercial Complex, H-Block, Alpha-II Sector, Greater Noida City.

बिकाऊ है

नया बनाना–राइपिनिंग प्लाण्ट उपलब्ध है :

ब्लू स्टार द्वारा इटली से आयातित केला पकाने का प्लाण्ट नई हालत में अलीगढ़ में बिक्री हेतु उपलब्ध है। प्लाण्ट में **पफ पैनल के 6 टन क्षमता वाले शीत कक्ष के 5 कमरे और 6 नग गैस सिलेण्डर है।** प्लाण्ट की अपने यहाँ फिटिंग कराने के लिए ब्लू स्टार के इंजीनियर श्री संजीव चौहान से मोबाइल : 09810505242 व 09310552242 पर संपर्क कर सकते हैं।

:: सम्पर्क करें ::

श्री प्रदीप सिंगल, कार्यकारी निदेशक

रामा एग्रो एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, सूत मिल, दिल्ली रोड,
अलीगढ़–202001 (उ.प्र.) मोबाइल : 9837040356, 9837028112

विद्युत सम्बन्धी : न्यायिक रूप से कितनी बिजली मिलनी चाहिये

हमने अपने पिछले अंकों में भी लिखा है कि शीतगृहों को न्यूनतम 14 घण्टे विद्युत सप्लाई अवश्य मिलनी चाहिए यदि वह स्वतंत्र पोषक पर है। इस बिन्दु पर उच्च न्यायालय का रुख बहुत कड़ा व स्पष्ट है।

एक अन्य केस में उच्च न्यायालय ने कोल्ड स्टोरेज को Industrial Unit माना है और उत्तर प्रदेश सरकार की Industrial Policy 2012 के अनुसार Industrial Unit power cut से मुक्त कर दिये गये है। इसी पॉलिसी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने शीतगृहों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने का आदेश दिया है। यहाँ हम इस निर्णय की कापी प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप ठीक समझे और जरूरत हो, तो आप भी इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

Court No. - 3

Case : WRIT - C No. - 29308 of 2013

Petitioner : M/s Soraon Cold Storage Soraon and Anr.
Respondent : State of U.P. and 3 Others
Petitioner Counsel : Bidhan Chandra Rai
Respondent Counsel : C.S.C. Mahboob Ahmad

Hon'ble Laxmi Kanta Mohapatra J.
Hon'ble Rakesh Srivastava, J.

Heard learned counsel for the petitioners and the learned counsel for the State.

The petitioner relying on an order passed by this Court dated 26.4.2013 in Writ Petition No. 21858 of 2013, has filed this writ petition for uninterrupted power supply. The petitioners being industrial units (Cold Storage) require twenty four hours electric supply without interruption and accordingly on 14th May, 2013, a representation has been filed before the respondent No. 4 for supply of uninterrupted electricity.

The order on which, reliance is placed clearly shows that as per the industrial policy of

Government of U.P. 2012, certain categories of Industries were exempted from power cut and accordingly in the said case, the Court directed for supply of electricity for a period of 16 to 18 hours a day.

We, therefore, dispose of the writ petition directing the respondent No. 4 to consider the representation of the petitioners dated 14th May, 2013 in Annexure - VIII and take a decision thereon with reference to the order dated 26.4.2013 passed in the aforesaid case within one month from the date of communication of this order.

Order Date : 24.5.2013

Arun K. Singh

इस निर्णय को लागू कराने के लिये हर एक को अलग–अलग न्यायालय जाना पड़ेगा।

Public Private Partnerships के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि PPP अर्थात् Public Private Partnerships Scheme में कोल्ड स्टोरेज व कोल्ड चेन को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इसमें केवल Infrastructure Scheme ही ली जाती थी।

अभी हम इस स्तर पर यह तो नहीं बता सकते की इस Scheme में कोल्ड स्टोरेज वाले कैसे फायदा उठा सकते है लेकिन यह समझ में आ रहा है कि नये शीतगृहों को अवश्य फायदा पहुँचेगा, इसी कारण हम यहाँ पर इस सम्बन्ध के सरकारी आदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं।

No. 3C/1/11-PPP
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
PPP Cell

New Delhi, the March 17, 2011

Notification

Subject : Scheme for support to Public Private Partnerships (PPPs) in infrastructure - eligible sector

In exercise of the powers conferred under the proviso to Rule 3 (ii) of the Scheme for Support to Public Private Partnerships (PPPs) in Infrastructure, it has been decided to add the following sectors in the list of sections in Rule 3 (ii) :

"(f) Capital investment in the creation of modern storage capacity including cold chains and post-harvest storage."

This issues with the approval of the Finance Minister.

(Rajesh Khullar)
Joint Secretary to the Government of India
Tele : 23093881

To,

1. All members of the Empowered Committee
2. All members of the Empowered Institution

Copy to :

1. All Secretaries to Government of India
2. Chief Secretaries of the States / Administrators of Union Territories
3. PPP Nodal Officers

Copy also to :

Sr. PPS to Secretary (EA)/PPS to AS and DG, DEA

(Rajesh Khullar)
Joint Secretary to the Government of India
Tele : 23093881

यहाँ हम PPP व Viability Gap Funding के बारे मे भी थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। यह विशेषतः सरकार उन स्कीमों के लिए कर रही है जहाँ पूँजीगत लाभ बहुत कम है, लाभ बहुत देर में मिलता है व धन की कमी रहती हैं। Viability Gap Funding स्कीम में सरकार ऐसी स्कीम को और बीस प्रतिशत तक धन देने के लिए तैयार है। यह स्कीम चूँकि हमें अग्रेजी मे प्राप्त हुई है इसे हम ऐसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे विस्तार से जानने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते है।

Availability of quality infrastructure is a pre-requisite to achieve broad based and inclusive growth of the Indian economy on a sustained basis.

There has been an increasing realisation and consequent engagement of the private sector in provisioning of infrastructure. This involvement has been necessitated on account of the need to bring in the efficiencies of the private and commercial enterprise as well as supplement the limited public sector resources vis-a-vis the requirements of bridging the infrastructure deficit.

Investment decisions in the infrastructure sector through private sector engagement remains a challenge, especially where there is lack of excludability. Infrastructure projects, often have high social but an unacceptable commercial rate of return. These are generally characterised by substantial investments, long gestation periods, fixed returns, etc. that make it essential that Government supports infrastructure financing, through appropriate financial instruments and incentives. Capital grant as an instrument of government support to make socially viable projects commercially viable through an efficient and transparent allocation basis is an accepted economic proposition.

With a view to support the infrastructure projects. the Scheme for Support to PPPs in Infrastructure (Viability Gap Funding Scheme) was announced in 2004 and the modalities to operationalise it put in place by 2005. The Scheme aims to ensure wide spread access to infrastructure provided through the PPP framework by subsidising the capital cost of their access. Meeting the funding gap to make economically essential projects commercially viable would obviate the need for Government funding for such projects and allow private sector participation in the projects, thus facilitating private sector efficiencies in infrastructure development.

The Scheme provides financial support in the form of grants, one time or deferred, to infrastructure projects undertaken through public private partnerships with a view to make them commercially viable. The Scheme provides total Viability Gap Funding up to twenty percent of the total project cost. The Government or statutory entity that owns the project may, if it so decides, provide additional grants out of its budget up to further twenty percent of the total project cost. Viability Gap Funding under the Scheme is normally in the form of a capital grant at the stage of project construction.

The Guidelines for Financial Support to PPPs in Infrastructure were issued by Ministry of Finance in January 2006. The guidelines essentially flow from the provisions of the Scheme, approved by CCEA in 2005, and prescribe the procedure to be followed for posing proposals for seeking Viability Gap Funding for PPP projects.

Subsequently, recognising that the development of project documents is a detailed, complex and time consuming process, Ministry of Finance has issued guidelines to verify admissibility of the project under the Scheme. The Sponsoring Authority can seek preliminary 'eligibility for consideration' before posing the detailed project proposal for 'in principle'

approval. Department of Economic Affairs would examine the 'eligibility for consideration' proforma and convey whether the proposal fulfils the requirements of the VGF Scheme and can be considered by the approval committee. This facility is optional and can be availed if necessary. Proposals can also be submitted directly for consideration by the approval committee for grant of Viability Grant Funding.

This compendium brings together the guidelines and notifications issued by Ministry of Finance to implement the Scheme. It is hoped that the compendium will be useful to the project authorities at the Central, State and Municipal level and will serve as a single point reference for the Scheme.

आन्ध्र प्रदेश समाचार :

बड़े हर्ष के साथ हम सूचित कर रहे हैं कि Chamber of Cold Storages Industry (AP) President, Shri Gubba Nagender Rao, जिनका कि गुब्बा कोल्ड स्टोरेज भी है को Best Performer of the Year Andhra Pradesh Award प्रदान किया गया। यह अवार्ड उन्हे Dr. Mrs. Geeta Reddy, Major Industries Minister (Govt. of A.P.) ने प्रदान किया।

Seen above are, Gubba Nagender Rao (M.D.), Gubba Kiran (CEO) and Gubba Prashanth (Research and Technical Head), receiving the award from Dr. Mrs. Geeta Reddy, Major Industries Minister (Govt. of A.P.), on 15th July 2013.

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

गुजरात :

गुजरात से हमें श्री गणपत कछवा व श्री भरत खूबचन्दानी ने गुजरात की रिपोर्ट भेजी है जो इस प्रकार है :–

1 इस वक्त गुजरात में आलू 9 रू से 12 रू किलो बिक रहा है।

2. गुजरात का आलू मुख्यतः गुजरात की मण्डियों मे ही जा रहा है और अनुमानतः 45 प्रतिशत की निकासी हो गई है। भण्डारित आलू की quality अच्छी है।

आप लोगो को आशा है कि इसी तरह से 30 नम्बर तक गुजरात का आलू शीतगृहों से निकल जायेगा।

अन्य प्रान्तों के सम्बन्ध में :

पश्चिमी बगांल में आलू की निकासी और प्रदेशों के अनुपात में अच्छी चल रही है परन्तु फिर भी पश्चिमी बंगाल में काफी मात्रा में आलू शीतगृहों में है जोकि 15 नवम्बर तक धीरे–धीरे ही निकल पायेगा। वहाँ के व्यापारियों को भी दक्षिण के प्रदेशों में आलू भेजने पर कोई बचत नहीं हो रही है।

उत्तर प्रदेश में आलू की निकासी इतनी ज्यादा भ्रामक रूप में है कि कोई भी अनुमान लगा पाना सही नहीं होगा। आगरा की रिपोर्ट 25 प्रतिशत निकासी की है जबकि पूर्वी क्षेत्रों की निकासी 15 प्रतिशत के आस–पास आंकी जा रही है। यदि 25 प्रतिशत का आंकड़ा भी मान लिया जाए तो भी भण्डारित आलू काफी मात्रा में माना जायेगा। इसके बाद अभी हासन की फसल का उत्तर प्रदेश के बाजारों पर क्या असर पड़ता है वह भी देखना है। बिजली की कमी ने वैसे ही शीतगृहों के हौसले पस्त करें हुए है। लम्बे समय तक अच्छी क्वालिटी का आलू बनाए रखना मुश्किल होता रहा है।

श्री बनवारी लाल जाजू, डॉयरेक्टर इंचार्ज एवं फायनेन्स कन्ट्रोलर की फेडरेशन के सदस्यों से अपील

श्री जाजू जी ने फेडरेशन के सदस्यों से अपील की है कि वह फेडरेशन को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देकर शक्तिशाली बनाए। इस समय कई प्रान्तों का आर्थिक सहयोग बिलकुल नहीं है या ना के बराबर है। श्री जाजू के पत्र को हम यहाँ प्रकाशित करना उचित नहीं समझते। अतः इसकी छाया प्रति हर प्रान्तीय अध्यक्ष को भेज रहे हैं।

Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd. द्वारा मुम्बई में प्रदर्शनी का आयोजन :

Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd. द्वारा मुम्बई में 12, 13, 14 सितम्बर, 2013 को India Cold Chain Show, का आयोजन Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai में किया जा रहा है। यह शीतगृहों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रदर्शनी होगी। शीतगृहस्वामी इस प्रदर्शनी से लाभ उठा सकते हैं।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित